फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

सफी मोहम्मद बनाम मीर मोहम्मद

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नं. 71/सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.7.2020	पत्रावली बाद जांच कार्यालय प्राप्त हुई। अपीलांट एवं रेस्पाडेंट संख्या 01 दोनो सगे भाई हिदायत अनुसार न्यायालय हाजा में अपने-अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित आए। दोनो को लोक अदालत की भावना के तहत प्रस्तुत अपील अंतर्गत धारा 225 में आपसी सहमति एवं रजामंदी से निपटारा करने हेतु समझाईश की गई। मामले को निपटाने के लिए उभय पक्ष द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर विचार किया और अंतत: प्रकरण में सहमति बनी। मुताबिक सहमति एवं रजामंदी मौके से ILR एवं पटवारी की रिपोर्ट भी मंगवाई। ILR एवं पटवारी ने मौका रिपोर्ट भेजी जिसे उभय पक्ष को दिखाया गया, समझाया गया। उन्होंने अपनी अपनी मंशा की क्रियान्विति इस रिपोर्ट एवं इसके संलग्न नक्शा "परिशिष्ट अ" में देखी। बाद सहमति एवं पूर्ण संतुष्टि सोच समझ इसे स्वीकार कर अपने-अपने उभय पक्ष के बकुलाय की गई। बाद हस्ताक्षर मय उभय पक्ष के वकुलाय की गई। बाद हस्ताक्षर मय रिपोर्ट मय नक्शा "परिशिष्ट अ" तस्दीक सत्यापन रिपोर्ट मय नक्शा "परिशिष्ट अ" तस्दीक करवाई गई जिसकी तहरीर कर पत्रावली के संलग्न किया गया जिसकी तहरीर कर पत्रावली के संलग्न किया गया जिसकी तहरीर अंकित कर उन पर रिपोर्ट एवं नक्शा पर पृथक से अंकित कर उन पर भी उभय पक्ष के बाद पुख्ता शिनाख्त हस्ताक्षर करवाये गये। प्रकरण का संक्षिप्त सार यह है कि अपीलांट तथा रेस्पोडेंट सं01 सगे भाई है तथा इन्हे पृथक-2 वर्षों में पृथक-2 आदेशों से राजकीय भूमि का आवंटन एक ही खसरा नं0 353 में हुआ। मौके पर कब्जे एवं तरमीम को लेकर उभय पक्ष में विवाद पैदा हुआ। रेस्पो. सं. 1 मीरमोहम्मद को आवंटित एवं तरमीमशुदा भूमि में ट्यूबवेल खुदवाने के उपरांत भी पानी नहीं मिला तो उभय पक्ष ने इस बात पर सहमति बना ली कि सफी मोहम्मद को आवंटित भूमि में एक बीघा भूमि पर मीर मोहम्मद ट्यूबवेल बना ले। उनके ख.नं0 353/562 रकबा 15 बीघा भूमि, जो	पी.सी.एम. (हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) मीर मोहम्मद (Resp. No. 1) आधार नंबर (700285451396) स. सफी मोहम्मद (अपीलांट) आधार नं. (906327746314)

(हस्ताक्षर) P.T.O ...2

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बनाम

(3)

किस्म मुकदमा आर.टी.एक्ट [redacted] न. सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खातेदारी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में बरामदा होने से उभय पक्षकारों में कोई मतभेद नहीं है। केवल तरमीम को लेकर विवाद है जो उभयपक्ष द्वारा जाहिर स्वीकारोक्ति, सहमति एवं रजामंदी के स्वरूप अंगीकृत रिपोर्ट मय नक्शे के आधार पर इनका निस्तारण हो जाने से विवाद का शमन हो गया है। उभयपक्ष द्वारा अंगीकृत तरमीम के मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में मामूली संशोधन वांछित है जो निम्नलिखित प्रकार से अन्ति-निर्धारित किया जाना आदेशित किया जाता है:-

खातेदार	ख.नं.	मूल या बट्टा नंबर	रकबा
1) मीरमोहम्मद	353/561	मूल	13 बीघा 10 बिस्वा
	353/556	बट्टा नंबर	0.03 बीघा अर्थात् 3 बिस्वा
	353/562	बट्टा नंबर	1.07 (1 बीघा 7 बिस्वा
			कुल रकबा 25.00 बीघा
2) सल्ली मोहम्मद	353/561	बट्टा नंबर	1 बीघा 10 बिस्वा
	353/556	मूल	9 बीघा 17 बिस्वा
	353/562	मूल	13 बीघा 13 बिस्वा
			कुल रकबा 25.00 बीघा

उपरोक्त रकबा खसरा नंबरान अनुसार है जो संलग्न "परिशिष्ट अ" में दर्शित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद का निस्तारण भी उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में हो क्योंकि इसके लिए उभय पक्ष रजामंद/सहमत हैं और लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अंगीकार कर चुके हैं। तहसीलदार बाण उपरोक्तानुसार प्रत्येक पक्ष का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद एवं "परिशिष्ट अ" मुताबिक तरमीम पुख्ता करें। रेस्पोडेंट सं.1 अपीलेन्ट के खसरा नंबरों में आधिपत्य कब्जा किया गया रकबा 7 दिवस में हर हाल में

P.T.O

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

-- 4

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज (5)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मुक्त कर कब्जा अपीलांट को सुपुर्द कर दे। उभय पक्ष प्रस्तुत सहमति/रजामंदी से आबद्ध रहेंगे और इसको लेकर भविष्य में कोई विवाद नहीं करेंगे। उपरोक्तानुसार प्रत्येक पक्ष की खातेदारी भूमि एवं तरमीम के मुताबिक ही अपना-2 कब्जा रखेंगे तथा एक-दूसरे की खातेदारी में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। बाद दर्ज, पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश की प्रति मय पटवारी/ILR रिपोर्ट दि. 13/7/2020 मय नक्शा "परिशिष्ट अ" अधीनस्थ न्यायालय एवं तहसीलदार बाप को पालनार्थ प्रेषित की जावे। 13/7/2020 संभागीय अपील प्राधिकारी जोधपुर	

सफी मोहम्मद की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि है, में ट्यूबवैल बना लिया और उस पर विद्युत कनेक्शन करवा लिया जबकि विद्युत कनेक्शन में अपनी खातेदारी भूमि के खसरे का अंकन किया। कालान्तर में उसने एक बीघा भूमि की बजाय लगभग 7-10 बीघा भूमि पर कब्जा कर तारबंदी कर ली जिससे विवाद पैदा हुआ जिसके फलस्वरूप वाद एवं अपील दायर हुई। इस तथ्य की पुष्टि NT शेरगढ़ की एक रिपोर्ट, जो रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, से होती है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि "ख.नं. $\frac{353}{562}$ रकबा 15 बीघा में 5 जरीब × 6 जरीब = 7.10 बीघा में मीर मोहम्मद का कब्जा व तारबंदी की हुई है जिसमें पक्का ईंटों का ~~xxxx~~ पड़वा बना हुआ है तथा इसी खसरा में ट्यूबवैल मीर मोहम्मद का बनाया हुआ है, शेष रकबा पर कब्जा खातेदार सफी मोहम्मद का कब्जा है।" इसी तरह मौका फर्द दि. 5/6/2020 को ग्राम सूरे की बुर्ज के ख.नं. $\frac{353}{557}$ रकबा 10 बीघा व ख.नं. 353/561 रकबा 15 बीघा भूमि के खातेदार मीर मोहम्मद S/o हकीम खां जाति मुसलमान के नाम से खातेदारी भूमि है, इससे जुड़ता ख.नं. $\frac{353}{556}$ रकबा 10 बीघा व ख.नं. $\frac{353}{562}$ रकबा 15 बीघा भूमि जो रावेरी सरहद से जुड़ा खसरा है, रावेरी सरहद को आधार मानकर उक्त खसरा का माप बताया गया। मौके पर ख.नं. $\frac{353}{562}$ रकबा 15 बीघा सफी मोहम्मद S/o हकीम खां के नाम से है तथा इस खसरा में ट्यूबवैल मीर मोहम्मद द्वारा खुदवाया गया है जिसके निशान कराये गए। मौके पर मीर मोहम्मद द्वारा उक्त खसरा में तारबंदी की हुई है तथा पड़वा नया ईंटों का बना हुआ है। 5 जरीब चौड़ाई व 6 जरीब लम्बाई में कब्जा मीर मोहम्मद का है। ख.नं. $\frac{353}{562}$ रकबा 15 बीघा में शेष भूमि पर खातेदार सफी मोहम्मद का कब्जा है।"

राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी ग्राम सूरे की बुर्ज संवत 2072 से 2075 के खाता सं० 132 में ख.नं. $\frac{353}{557}$ रकबा 10 बीघा तथा ख.नं. $\frac{353}{561}$ रकबा 15 बीघा कुल 25 बीघा भूमि मीर मोहम्मद S/o हकीम खां की खातेदारी है और खाता सं० 173 के अनुसार ख.नं. $\frac{353}{556}$ रकबा 10 बीघा तथा ख.नं. $\frac{353}{562}$ रकबा 15 बीघा कुल रकबा 25 बीघा सफी मोहम्मद S/o हकीम खां की खातेदारी भूमि है। इस प्रकार राजस्व रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौजा सूरे की बुर्ज P-35 क्रमांक 4638 दि. 30/6/2020 अनुसार रिकॉर्ड खातेदार एवं उनकी बाकायदा तरमीम शुदा भूमि है।

P.T.O [signature]

बाबत्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

---3

Signature Not Verified
Digitally signed by Nakhat Dan Barhath
Date: 2020.07.28 14:08:18 IST
Reason: SelfAttested
Location: